

भीमराव अंबेडकर के भारतीय समाज के संदर्भ में सामाजिक विचार

Babita*

Research Scholar, Political Science Department, M.D.U. Rohtak, Haryana, India

सारांश: - भीमराव अंबेडकर एक महान विचारक, तेजस्वी वक्ता और दलितों के मसीहा थे। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्यप्रदेश के नगर इंदौर में महु के पास छावनी में हुआ था। अंबेडकर जी ने सम्पूर्ण जीवन भर समाज में जातिवाद के उन्मूलन के लिए प्रयास किया था। अंबेडकर ने समाज में जातिवाद व छूआछूत को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रयास किया था। सार्वजनिक स्थानों में निम्न जाति के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना चाहता था। धर्म के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए हिंदु कोड बिल को पारित करवाया था। अंबेडकर ने समाज में स्त्रियों की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। इनके अनुसार शिक्षा के माध्यम से ही लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बन सकते हैं।

मुख्य शब्द: सामाजिक व्यवस्था, स्त्री मताधिकार, अस्पृश्यता, न्याय, दलित

-----X-----

अंबेडकर ने जीवन भर जातिवाद के उन्मूलन के लिए प्रयास किये हैं। उन्होंने समाज में समानता व स्वतंत्रता के लिए प्रयास किये हैं। अंबेडकर ने निम्न जाति के उत्थान के लिए कांग्रेस में महात्मा गाँधी से मतभेद उत्पन्न हो गये थे। जून 1945 में अंबेडकर ने 'कांग्रेस और गाँधीजी' नामक लेख में दलितों के दृष्टिकोण से गाँधीजी व गाँधीवाद की कटु आलोचना की थी। सन् 1946 में अंबेडकर ने अपनी पुस्तक 'शुद्र कौन हैं' प्रकाशित की थी। सत्यशोधक समाज के माध्यम से निम्नवर्ग को उच्च वर्ग द्वारा उन पर किये गये शोषण के प्रति जागरूक किया। कानून मंत्री के रूप में उनका सबसे बड़ा कार्य हिंदु कोड बिल था। इस कानून का उद्देश्य हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार लाना था। स्त्रियों के लिए तलाक व्यवस्था में सुधार और संपत्ति में सुधार करके हिस्सा प्रदान करना था। अंबेडकर अपने जीवन में महात्माबुद्ध, कबीर व ज्योतिबाफूले के विचारों से प्रभावित थे। अंबेडकर की कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारत के अंदर समाज में मानवधिकारों के लिए किये गये संघर्षों व सुधारों की सराहना की गई थी।

अंबेडकर को अपने लंबे जीवन अनुभव से इस पर विश्वास हो गया था कि हिंदु धर्म में रहकर न तो छूआछूत का निवारण हो सकता है और न अस्पृश्य जातियों का उत्थान इसलिए उन्होंने हिंदु धर्म को त्यागने का विचार बना लिया था।

भीमराव अंबेडकर के हिंदु सामाजिक व्यवस्था संबंधी विचार:

अंबेडकर समाज सुधारक व सामाजिक चिंतक थे। उनके चिन्तन का मुख्य विषय हिंदु समाज में पाई जाने वाली बुराईयाँ थी। जिनका शिकार हिंदु समाज में अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ हो रही थी। इनको समाज में चांडाल, शुद्र, अस्पृश्य और अछूत, हरिजन नाम से संबोधित करते थे। अंबेडकर इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को अन्यायपूर्ण, भेदभावपूर्ण मानता था और समाज में सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा मानता था। अंबेडकर जी के सामाजिक समाज-व्यवस्था संबंधी विचार इस प्रकार से हैं।

वर्ण-व्यवस्था का विरोध:

हिंदु-समाज में पाई जाने वाली वर्ण व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शुद्र का विभाजन किया गया है उस व्यवस्था को अंबेडकर स्वीकार नहीं करते हैं। प्राचीन काल में मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य ने इन वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। परंतु अंबेडकर इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था की समाज में असमानता का कारण मानते हैं।

छुआछूत का विरोध:

अंबेडकर छुआछूत को समाज में एक बुराई मानते थे और कहते थे कि यह एक प्रकार से समाज में कलंक है। इनके कारण समाज की अनुसूचित जाति व जनजातियों को समाज से प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित रखा जाता है। इनके अनुसार सामाजिक अस्पृश्यता व छुआछूत से सामाजिक एकता व अखण्डता को खतरा पैदा होता है। ब्राह्मणों ने इनको अछूत नाम से पुकारा है और समाज के अन्यवर्गों के साथ संपर्क से प्रतिबंधित किया है।

जाति प्रथा का विरोध:

अंबेडकर जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे। जाति प्रथा के विरोधी होने का कारण वे स्वयं इनको भोग चुके थे। उनके अनुसार व्यक्ति को समाज में उनके कार्यों की उपेक्षा सम्मान नहीं मिलता अपितु जाति के आधार पर समाज में सम्मान प्रदान किया जाता है।

उनके अनुसार जाति-व्यवस्था निम्न वर्णों के व्यक्तियों के गुणों व योग्यता की उपेक्षा की जाती है। जाति-व्यवस्था रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित करती है। जाति-व्यवस्था अन्तरराष्ट्रीय विवाह व संबंधों का बहिष्कार करती है। जाति व्यवस्था प्रजातंत्र विरोधी है। अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था मानवीय स्वतंत्रता व समानता विरोधी है।

हिंदु-कोड बिल का समर्थन:

अंबेडकर सम्पूर्ण जीवन समाज में विद्यमान अस्पृश्यता, जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए प्रयासरत थे। स्वतंत्र भारत के अंबेडकर जब प्रथम कानून मंत्री बने तो वह हिंदु कोड बिल को लाकर समाज में सभी को समान अधिकारों के पक्ष में थे। अंबेडकर के प्रयास से ही हिंदु कोड पारित हो पाया।

धर्म निरपेक्षता का समर्थन:

अंबेडकर ने समाज के संदर्भ में अपने विचारों में धर्म-निरपेक्षता विचारों को अपनाया गया। अंबेडकर धर्म में आस्था रखते थे। परंतु इस के साथ-2 राज्य के धर्म-निरपेक्ष स्वरूप पर बल देते थे। वह राज्य का राज धर्म होने की मनाही करते थे। वह मानते थे कि राज्य को समाज में सभी धर्मों का सम्मान व सद्भावनापूर्ण आदर करना चाहिए। इस प्रकार से राज्य में व्यक्ति को किसी भी धर्म की उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

ब्राह्मणवाद व मनुवाद का विरोध:

अंबेडकर ब्राह्मणवाद व मनुवाद के कड़े विरोधी थे। वे मानते थे कि मनुस्मृति में प्रत्येक स्थान पर ब्राह्मणवाद को प्रमुखता दी गई है। ब्राह्मणों की वजह से ही शुद्र को सबसे निम्न वर्ग में शामिल किया गया है। उनके अनुसार मनुस्मृति समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम रखना चाहती है।

समाज में निम्न-जातियों के स्तर में सुधार-सुझाव:

अंबेडकर ने निम्न जातियों के लिए सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग की स्वतंत्रता की बात की है। अंबेडकर ने हरिजन शब्द का प्रयोग का विरोध किया है।

अंबेडकर ने समाज में निम्न के उत्थान के लिए तीन शब्दों के प्रयोग पर बल दिया है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो इन तीन शब्दों के माध्यम से अंबेडकर निम्न जातियों का उत्थान करने का प्रयास करते हैं।

अंबेडकर के समाज में असमानता व शोषण के विरुद्ध सुझाव:

सामाजिक समानता के पक्षधर -

अंबेडकर ने लंबे समय तक उनके साथ होने वाले भेदभाव को सहन किया था। इसलिए वह समाज में समानता के पक्षधर थे और समानता का स्वरूप राजनीतिक कानूनी होने पर बल दिया था। वह राजनीतिक समानता से पहले सामाजिक समानता की बात करते हैं।

अंबेडकर फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो के सामाजिक, समानता, व स्वतंत्रता व बंधुत्व के विचारों से काफी प्रभावित थे और समाज में पाये जाने वाले हर प्रकार के शोषण व असमानता को खत्म करना चाहते थे।

असमानता के उन्मूलन हेतु अछूतों के जीवनसुधार की भावना पर बल:

अंबेडकर ने इस बात का अनुभव कर लिया था कि दलित समाज के मुख्य भाग से बाहर रहते हैं। गंदे वस्त्र पहनते हैं मुर्दा जानवरों का माँस खाते हैं इसलिए समाज से बाहर हीनता का जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए इनको समाज में अधिकार प्राप्त करने के लिए अपनी जीवन-शैली और खान-पान में सुधार करना होगा। इसलिए 20 मार्च, 1927 को अंबेडकर ने 'दलित जाति परिषद' की अध्यक्षता करते हुए

कहा कि ऐसे प्रयास करो जिससे तुम्हारे बाल-बच्चे तुमसे अच्छी अवस्था में रह सके। अंबेडकर महिला अधिकार व शिक्षा पर भी बल देते थे।

दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की माँग:

अंबेडकर ने प्रथम गोलमेल सम्मेलन में इस बात पर बल दिया कि जिस तरह से मुस्लिम संप्रदाय ईसाईयों के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया है उसी प्रकार से अनुसूचित जाति, जनजातियाँ समाज में अल्पसंख्य हैं उनको भी अलग से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इससे निम्न जाति का विकास संभव हो सकता है।

इस प्रकार से अंबेडकर ने अपने सामाजिक विचारों में निम्न जातियों के लिए अधिकारों की आवाज उठाई। सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग पर बल दिया, स्त्री शिक्षा व अधिकार व समाज में पाई जाने वाली असमानता, शोषण की समाप्ति पर बल दिया।

संदर्भ सूची:

1. विजय कुमार पुजारी, डा. अंबेडकर: जीवन दर्शन, गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली, पृ 0 143
2. एम.वी. पायली, कांस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, पृ 0 138
3. धनंजय कीर, डॉ. बाबा साहब अंबेडकर: जीवन चरित', पापुलर प्रकाशन, पुनर्मुद्रण, 2006, पृ 0 8
4. अनिता कुमारी (संपादक) 'अंबेडकर ने कहा', गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली, पृ 0 8-27
5. इंडियन लेबर पार्टी का मैनीफैसटो।
6. डा. बी. आर. अंबेडकर, पाकिस्तान और पार्टिशन ऑफ़ इंडिया, पृ 0 332
7. खान, ममताज अली (1995) मानवअधिकार और दलित, नई दिल्ली, भारत
8. के.अल. शर्मा (1986) जाति वर्ग और सामाजिक आंदोलन, जयपूर, भारत: रावत।
9. सिन्हा, राकेश के, गाँधी, अंबेडकर और दलित, जयपूर, भारत: आदि

10. जतवा, डी. आर. (1998) भारत में सामाजिक न्याय, जयपूर, भारत: आई.एन.ए. श्री, 86

Corresponding Author

Babita*

Research Scholar, Political Science Department,
M.D.U. Rohtak, Haryana, India